



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 27.11.2024

थाना कोतवाली शामली व थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली व थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.संजीव पुत्र सुखवीर निवासी इदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2.शिवकुमार पुत्र बिशम्बर निवासी रामपुरी गली न0-03 शाहबुदीपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3.अशोक पुत्र बिशम्बर निवासी रामपुरी गली न0-03 शाहबुदीपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 4.अंकित पुत्र शिवकुमार निवासी रामपुरी गली न0-03 शाहबुदीपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।



थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामद:-

दिनांक 26.11.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.प्रवेश पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम पलठेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 छुरा।



थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सड्डा लगाते हुए 01 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नकदी, पर्चा सड्डा गत्ता व पैसिल बरामद:-

दिनांक 26.11.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 जुआरी को सड्डा लगाते हुये नकदी 530/- रुपये एवं पर्चा सड्डा गत्ता व पैसिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.ताहिर पुत्र नासिर निवासी ग्राम पलठेडी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.नकदी 530/- रुपये ।

2.पर्चा सड्डा गत्ता व पैसिल ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामद:-

आज दिनांक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अंकित पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 छुरा।



एनटीएफ यूनिट मेरठ व थाना बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 01 मादक पदार्थ तस्करी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चरस 07 किलो 550 ग्राम, 01 अदद मोबाइल व सिम, ड्राइविंग लाइसेन्स व 2537 रुपये की नगदी बरामद।

आज दिनांक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में एनटीएफ यूनिट मेरठ व थाना बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 01 मादक पदार्थ तस्करी को 07 किलो 550 ग्राम चरस, 01 अदद मोबाइल व सिम, ड्राइविंग लाइसेन्स व 2537 रुपये की नगदी सहित मुजफ्फरनगर शामली रोड बाबरी फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.शर्मा साहनी पुत्र योगी साहनी निवासी शिवाघाट, मलाही टोला, पोस्ट बकुलाहर मठ थाना गोपालपुर जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध चरस 07 किलो 550 ग्राम।

2.एक अदद मोबाइल व सिम।

3.नगदी 2537 रुपये।

4.ड्राइविंग लाइसेन्स।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.थानाध्यक्ष श्री राहुल कुमार सिसौदिया थाना बाबरी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह एनटीएफ यूनिट जनपद मेरठ।

3. है0का0 पंकज कुमार एएनटीएफ यूनिट जनपद मेरठ ।
4. का0 अंकित कुमार एएनटीएफ यूनिट जनपद मेरठ ।
5. का0 सुशील कुमार एएनटीएफ यूनिट जनपद मेरठ ।
6. का सचिन कुमार थाना बाबरी जनपद शामली ।



प्रेस नोट

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मंगलपुर के जंगल में हुयी पुलिस मुठभेड़ में 01 गौ-तस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा मय कारतूस व चोरी किया हुआ गौवंश एवं पशु कटान के उपकरण बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 27.11.2024 को आनंद कुमार सैनी पुत्र मोहनलाल सैनी निवासी ग्राम मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मध्य रात्रि में उनके घर से गाय चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर तहरीर दी थी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 677/2024 धारा 331(4),305 भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था । थाना कैराना पुलिस द्वारा चोरी किये गये गौवंश की तलाश की जा रही थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस ने चोरी किये गये गौवंश की तलाश में खोजबीन करते हुए ग्राम मलकपुर के जंगल में पहुंची तो प्रतिबन्धित पशु की गौकशी की तैयारी कर रहे बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये । पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में गौ-तस्कर जीशान पुत्र बसीरु निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली घायल हुआ है । अभियुक्त को बाद उपचार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है । मुठभेड़ में घायल बदमाश के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 03 खोखा कारतूस 32 बोर तथा चोरी किया हुआ 01 जीवित गौवंश एवं पशु कटान के उपकरण बरामद हुये हैं । अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । घायल अभियुक्त के 02 अन्य साथी अभियुक्त मनशाद उर्फ सोना पुत्र सादिर निवासी ग्राम सुजड़ थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर व अभियुक्त चीडा ग्राम सुजड़ थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर फरार है जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी ।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.जीशान पुत्र बसीरु निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामिल ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जीशान उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 859/15 धारा 379/411 भादवि व 3/8 सीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल ।

2.मु0अ0सं0 175/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल ।

3.मु0अ0सं0 381/18 धारा 307 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल ।

4.मु0अ0सं0 144/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामिल ।

5.मु0अ0सं0 602/24 धारा 3/5/8ए/8 सीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामिल ।

6.मु0अ0सं0 677/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस थाना कैराना जनपद शामिल ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध एक तमंचा मय 02 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 32 बोर ।

2.चोरी किया हुआ 01 जीवित गौवंश ।

3.पशु कटान के उपकरण ।

